अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., स0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

विविध अपील वाद संख्या 22/2011

चन्द्रमुखी देवी –– अपीलार्थी

वनाम

बिहार सरकार –– रेस्पोण्डेन्ट

–:आदेश:–

प्रस्तुत विविध अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांकः 21.04.2009 को सी०डब्लू०जे०सी० वाद संख्याः 3126/2007 में पारित आदेश में निदेशानुसार इस न्यायालय में दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में यह कथन करते हैं कि अपीलार्थी के पति को दिनांकः 26.04.1965 को जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा समाहरणालय, सहरसा में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया वो नियुक्ति के पश्चात अपीलार्थी के पति द्वारा अपने पद पर योगदान दिया गया, तत्पश्चात उन्हें पत्रांकः 498–1 दिनांकः 27.08.1966 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। आगे यह कथन करते हैं कि वे प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में कार्य करते हुए दिनांकः 13.04.1970 को बिमारी के कारण गुजर गये। अपीलार्थी के पति की मृत्यु के उपरांत अपीलार्थी द्वारा सहरसा, सुपौल, मधेपुरा एवं सिंहेश्वर के विभिन्न कार्यालयों से संपर्क किया गया परंतु सभी कार्यालयों द्वारा अपने जिम्मेदारी को एक–दूसरे पर डाला जाता रहा ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि *बिहार पेंशन नियमावली एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा मेमो नं० पी०इ०एन०–103/64–9505 दिनांकः 03.10.1964 के माध्यम से जारी सर्कुलर जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दिनांकः 01.04.1964 या इसके बाद की तिथियों को किसी कर्मी की मृत्यु होने की स्थिति में जिसने कम से कम एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो उसके परिवार को परिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार होगा। उपरोक्त के अलावा अन्य कई सर्कुलर भी उपरोक्त*

संदर्भ में दिये गये हैं। आगे यह भी कथन करते है कि अपीलार्थी को पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार अपीलार्थी के वैधानिक अधिकार को नकारना विधि सम्मत नहीं है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि अपीलार्थी को निम्नलिखित लाभ निंधारित एवं दण्डात्मक ब्याज के साथ प्राप्त करने का अधिकार है:–

1. बकाया के साथ पारिवारिक पेंशन का भुगतान
2. उपादान की राशि
3. ग्रुप बिमा की राशि
4. अव्यवहृत अवकाश राशि
5. भविष्य निधि की ब्याज सहित राशि

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि–

1. अपीलार्थी को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार पटना के द्वारा स्व0 श्रीमती चन्द्र मुखी देवी पति स्व0 शम्भु देव चौधरी को पी0 पी0 ओ0 संख्या S/117609 द्वारा F.P. Rs. 60/- एवं G.P.O. No. 888 (07–08) द्वारा मृत्यु –सह– सेवा निवृति उपादान के रूप में रूपये 630.00 का अदायगी आदेश कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को निर्गत किया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता से यह पूछे जाने पर कि क्या अपीलार्थी को पारिवारिक पेंशन मिल रहा है या नहीं इस पर उनके द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल रहा है।

2. जिला भविश्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा को सम्बोधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर के पत्रांक 526–2 दिनांक 29.04.2010 के परिशीलन से यह परिलक्षित होता है कि शम्भुदेव चौधरी, भूतपूर्व लिपिक प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय, सिंहेश्वर द्वारा सा0 भ0 निधि लेखा संख्या आवंटित करने हेतु कोई भी आवेदन नहीं दिया गया जिस कारण सा0 भ0 निधि लेखा संख्या आवंटित नहीं होने के कारण सा0 भ0 निधि में अंशदान शून्य प्रतिवेदित किया गया है।

3. इस कार्यालय के पत्रांक 515/विधि दिनांक 26.06.2010 के द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन ससमय सुनिश्चित करने हेतु संबंधित कर्मी के मृत्यु के पश्चात मिलने वाली लाभ अव्यवहृत अवकाश के समतुल्य नगद राशि, उपादान की राशि, ग्रुप बीमा राशि एवं भविष्य निधि में संचित राशि के संबंध में एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पत्र जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को प्रेषित किया गया है, परन्तु उक्त आलोक में वांछित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो सका है।

वर्णित स्थिति में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अपीलार्थी को देय सेवान्त लाभ का भुगतान यदि कोई बाकी हो तो उसे एक माह के अन्दर भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा